

कार्यालय मॉ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्या.कोण्डागांव

जिला – कोण्डागांव

क्रमांक/525/स्था.विज्ञा./ मक्का प्र./2023

कोण्डागांव,दिनांक 06/10/2023

//विज्ञापन//

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर का आदेश क्रमांक/श.का./201/2023/2692 नवा रायपुर दिनांक 05.07.2023 के द्वारा स्वीकृत स्टॉफिंग पैटर्न के तहत मॉ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोण्डागांव में ईथेनॉल संयंत्र में निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 06/10/2023 से 27/10/2023 तक कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मॉ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोण्डागांव, जिला कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 01, जिला कोण्डागांव के पते पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sr. No	Description	No.of Posts	Seat Reservation								Educational Qualification & Experience	Fixed Monthly Salary	Maximum Age Limit	
			मुक्त				महिला							
			UR	OBC	SC	ST	UR	OBC	SC	ST				
1	2	3	4								5	6	7	
1	Plant operation Section													
I	Distillery Manager	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	B.Sc.+ DIFAT(NSI/VSI) +15 years Exp.	130000	55 Yrs.
II	Shift Incharge	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	B.Sc.+ DIFAT(NSI/VSI) +5 years Exp. In Distillery	55000	50 Yrs.
2	Quality Control Section													
I	Quality Control Officer	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	B.Sc. With Chemistry+ CCQC (NSI)/DIFAT(VSI/NSI) and 3Year Exp.	50000	50 Yrs.
3	MEDICAL SECTION													
I	Medical Officer	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	MBBS, MD will be Preferred	50000	50 Yrs.
4	Security Section													
I	Security In charge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Graduation + Ex.Army Officer & 1 Year Exp. As S.O. in any Industry	50000	50 Yrs.
Total		08	05	01	0	01	01	0	0	0	0			

उक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन किया जावेगा:—

1. उक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं विज्ञापन में उल्लेखित संबंधित अनुभव होना अनिवार्य है।
 2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
 - 2.1 प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार पद का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - 2.2 एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पद उल्लेखित होने पर आवेदक द्वारा प्रथमतः उल्लेखित पद हेतु आवेदन स्वीकार किया जावेगा।
 - 2.3 जन्मतिथि की प्रमाणिकता हेतु हाईस्कूल परीक्षा (10वीं) उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
 - 2.4 ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
 3. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27/10/2023 कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक होगी। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
 4. चयन प्रक्रिया
 - 4.1 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। स्टॉफ उपसमिति द्वारा तैयार की गई चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट क्रम सूची में से क्रमवार ही रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जायेगी।
 - 4.2 निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक का (80%) अंक एवं साक्षात्कार का अंक (अधिकतम 20 अंक) इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा तदनुसार नियुक्ति की जायेगी।
 - 4.3 साक्षात्कार— साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग और अभ्यर्थियों के चयन सूची के संबंध में चयन समिति (स्टॉफ उपसमिति) का निर्णय अंतिम होगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित संख्या में वांछित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर उच्चतर प्राप्तांक पाने वाले प्रत्येक पद हेतु 10-10 अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
- नोट:—1. साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची <https://kondagaon.gov.in> में अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थी इस वेबसाइट को चेक करते रहे।
2. साक्षात्कार के लिए पृथक से कोई पत्राचार/इन्टरव्यू कॉल नहीं किया जावेगा।
 3. साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व स्वयं के व्यय पर निर्धारित केन्द्र (समिति कार्यालय) में उपस्थित होना होगा, विलंब से उपस्थित होने पर साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
 - 4.4 समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। तथा जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा उसे साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

- 4.5 जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर न केवल निरस्त की जायेगी अपितु वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
 - 4.6 चयन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत केवल 03 माह तक ही जानकारी प्रदान की जायेगी।
 - 4.7 चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र, फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये तत्काल उसकी सेवा समाप्त किया जा कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
 - 4.8 उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - 4.9 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए अरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के अरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचरित किये जायेगे।
 - 4.10 सा0प्र0वि0क0एफ 3-1/2016/1-3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है।
 - 4.11 यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत नहीं किये जायेगें, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जायेगे, जिस प्रवर्ग के लिए वह पद आरक्षित है।
 - 4.12 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित/वैध होना अनिवार्य है।
- 5. अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्राथमिकता:-**
- 5.1 स्वीकृत स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार निर्धारित अर्हता एवं अनुभव की पूर्ति के अतिरिक्त, पद की आवश्यकतानुसार विशिष्ट योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - 5.2 प्लांट के अधिकारियों/कर्मचारियों के भर्ती के लिये उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो।
 - 5.3 ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों से हायर डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव्ह मैनेजमेंट, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिस्टीलरी इंजीनियरिंग/डिस्टीलरी टेक्नॉलॉजी संबंधी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण किया हो।
 - 5.4 ईथेनॉल प्लांट के महत्वपूर्ण मशीनरी के संचालन हेतु दीर्घ अनुभवी एवं कुशल व्यक्ति के छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य राज्यों से भी अनुभवी अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
6. संविदा नियुक्ति, कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एक निश्चित समय सीमा के लिए की जावेगी। किन्तु संविदा नियुक्ति की अवधि न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष होगी।

- आवश्यकतानुसार अधिकतम अवधि को बढ़ाने का अधिकार ईथेनॉल प्लांट के संचालक मण्डल/प्रबंधकारिणी कमेटी को रहेगा।
7. संविदा नियुक्ति सेवायुक्त अथवा नियोजक में से किसी भी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन जमा/देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
 8. संविदा नियुक्ति नियमित सेवा नहीं है, अतः अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
 9. उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति पाने वाले सेवायुक्त को निश्चित/फिक्स वेतन देय होगा। तथा सेवा नियमानुसार स्वीकृत यात्रा भत्ते/अवकाश की पात्रता होगी।
 10. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, आरक्षित पदों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।
 11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत ही संविदा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
 12. सेवा नियम में उल्लेखित सक्षम कमेटी/प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
 13. गबन, धोखाधड़ी, आर्थिक अनियमितता आदि के मामलो में दंडित व्यक्तियों को संविदा नियुक्ति हेतु पात्रता नहीं होगी। नियुक्ति पश्चात् यदि ऐसे तथ्य संज्ञान में आने तथा आपत्ति पश्चात दोषी पाये जाते हैं, तो सेवा के किसी भी अवधि में संबंधित की नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
 14. आवेदक, अपनी अर्हता जांच कर तथा संबंधित सेवा शर्तें पूर्ण करने उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इस संबंध में किसी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
 15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जायेंगे।
 16. उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 17. उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जावे, जो कि स्वप्रमाणित हो।
 18. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए पदों की संख्या में वृद्धि/कमी/संशोधन/निरस्त/आपत्ति/आवेदन पत्रों पर विचार/स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नियुक्ति संबंधी समस्त प्रक्रिया में चयन समिति (स्टॉफ उपसमिति) का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
 19. यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण हो तो तत्संबंध में शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

टीप :- विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप जिला - कोण्डागांव के वेबसाईट <https://kondagoan.gov.in> में उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक
माँ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं
विपणन सहकारी समि.मर्या. कोण्डागांव

पृ. क्रमांक / /स्था.विज्ञा./मक्का प्र./2023

कोण्डागांव दिनांक / /2023

प्रतिलिपि:-

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला - कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्राधिकृत अधिकारी, माँ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्या, कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
14. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
15. उप संचालक कृषि, कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
16. कम्प्यूटर इंचार्ज, माँ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्या, कोण्डागांव के सूचना फलक में चस्पा करें।

प्रबंध संचालक

माँ दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं
विपणन सहकारी समि.मर्या. कोण्डागांव